# न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बस्ती ।

वाद संख्या टी - 135
क0 वाद संख्या टी201617141 3834

अन्तर्गत धारा 143, जमीनदारी विनाश अधिनियम
बाबत ग्राम ओड़वारा,तप्पा हवेली,परगना बस्ती पूरब,
तहसील व जिला बस्ती।

**इशरावती देवी महाविद्यालय ओड़वारा, बस्ती द्वारा प्रबन्धक राजनाथ मिश्र —— बनाम—— सरकार**

## निर्णय

वादी इशरावती देवी महाविद्यालय ओड़वारा, बस्ती द्वारा प्रबन्धक राजनाथ मिश्र पुत्र इन्द्र देव निवासी ग्राम जामडीह शुक्ल,तप्पा हवेली, परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 274/0.253हे0, 349त्र/0.031हे0, 279ग/0.020हे0, 275ग/0.027हे0, 279क/0.020हे0, 275क/0.027हे0, 349ख/0.031हे0, 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 268/0.118हे0, 276/770/0.069हे0, 281/0.149हे0, एवं 371ख/0.016हे0 कुल रकबा 1.063हे0 भूमि स्थित ग्राम ओड़वारा, तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती को अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किये जाने हेतु जमीनदारी विनाश अधिनियम 143 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर वादी द्वारा विद्यालय बनाकर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा हैं। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख मे अकृषिक प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी, के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार बस्ती की आख्या दिनॉक 28.01.2015 को अग्रसारित कर प्रेषित किया गया हैं मे उल्लेख किया गया हैं कि ग्राम ओड़वारा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1419—1424 फसली के गाटा संख्या 274/0.253हे0, 349त्र/0.031हे0, 279ग/0.020हे0, 275ग/0.027हे0, 279क/0.020हे0, 275क/0.027हे0, 349ख/0.031हे0, 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 268/0.118हे0, 276/770/0.069हे0, 281/0.149हे0, एवं 371ख/0.016हे0 कुल रकबा 1.063हे0 भूमि पर वादी का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। तहसील की आख्यानुसार उक्त गाटा 274/0.253हे0, 349त्र/0.031हे0, 279ग/0.020हे0, 275ग/0.027हे0, 279क/0.020हे0, 275क/0.027हे0, 349ख/0.031हे0, 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 268/0.118हे0, 276/770/0.069हे0, 281/0.149हे0, एवं 371ख/0.016हे0 कुल रकबा 1.063हे0 पर वादी द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है, भूमि अकृषिक है। अतएव उक्त विवादित भूमि को कृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की आख्या एवं अन्य अभिलेखो का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न ग्राम ओड़वारा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1419—1424 फसली के गाटा संख्या 274/0.253हे0, 349त्र/0.031हे0, 279ग/0.020हे0, 275ग/0.027हे0, 279क/0.020हे0, 275क/0.027हे0, 349ख/0.031हे0, 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 268/0.118हे0, 276/770/0.069हे0, 281/0.149हे0, एवं 371ख/0.016हे0 कुल रकबा 1.063हे0 भूमि पर वादी का नाम अन्य सहखातेदारो संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे अंकित है। पत्रावली मे जमीनदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था नियमावली मे निर्धारित प्रारूप पर आख्या पर संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार विवादित भूमि गाटा संख्या 274/0.253हे0, 349त्र/0.031हे0, 279ग/0.020हे0, 275ग/0.027हे0, 279क/0.020हे0, 275क/0.027हे0, 349ख/0.031हे0, 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 268/0.118हे0, 276/770/0.069हे0, 281/0.149हे0, एवं 371ख/0.016हे0 कुल रकबा 1.063हे0 भूमि पर वादी द्वारा विद्यालय बनाकर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान मे हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख मे अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः ग्राम ओड़वारा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1419–1424 फसली के गाटा संख्या 274/0.253हे0, 349त्र/0.031हे0, 279ग/0.020हे0, 275ग/0.027हे0, 279क/0.020हे0, 275क/0.027हे0, 349ख/0.031हे0, 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 268/0.118हे0, 276/770/0.069हे0, 281/0.149हे0, एवं 371ख/0.016हे0 कुल रकबा 1.063हे0भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रूपया 11.24 भू. राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक बस्ती को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल किया जाय।

दिनांकः फरवरी 2015

प्रबन्धक/सचिव
इन्दराज ज्ञान सेवा समिति
जामडीह शुक्ल, बनापार-

(रामप्रसाद)
उप जिलाधिकारी
बस्ती–सदर।